बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना।

सं.संख्या-टी3/योजना-25/2008- 1220/पटना,दिनांक 16.6.15

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः-स्थापित महिला औ0प्र0संस्थानों में नया व्ययवसाय प्रारंभ करना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 20.00(बीस लाख) मात्र राशि पर अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि स्थापित महिला औ0प्र0संस्थानों में नया व्ययवसाय प्रारंभ करना योजना की स्वीकृति विभागीय पत्र संख्या 2472 दिनांक 3-7-2008 के तहत दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11,2011-12, 2012-13 ,2013-14 तथा 2014-15 में इस योजना का अवधि विस्तार किया जा चुका है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना के 1301 कार्यालय व्यय मद में रु0 10.00 लाख(दस लाख) तथा 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं मद में रुपये 10.00 लाख (दस लाख) मात्र की राशि का बजट उपबंध है। इस प्रकार कुल रुपये 20.00 लाख (बीस लाख) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विमुक्त राशि का उपयोग स्थापित महिला औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित योजना हेतु व्यय नियमानुसार किया जा सकेगा।

3 कय किए गए मशीनों एवं उपस्करों का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में संबंधित यूनिट के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।

4. सभी सामग्रियाँ प्राधिकृत डिलर / अधिकृत विकेता द्वारा आपूर्ति की जायेगी जिसके गुणवता के लिए संबंधित प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना होंगे। तथा संबंधित महिला औ0 प्र0 संस्थानों के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

6. इस योजना पर होने वाला व्यय शीर्ष 2230 श्रम और रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या 26, 0112 स्थापित महिला औ0प्र0संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना विपत्र कोड पी0-2230030030112 स्कीम कोड LAB-5239 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-टी3/यो0-25/08 के पृष्ट-..46../टि0 पर प्राप्त है एवं प्रारुप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0 48/टी0 पर प्राप्त है।

8. वित विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक 17-4-98 की कंडिका -2 के अनुसार राशि विमुक्त किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार सिंह,)
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/यो0–25/08– 1220/पटना,दिनांक 16.6.15

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग//सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/यो0–25/08– 1220/पटना,दिनांक 16.6.15

प्रतिलिपिः–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/महिला औ0प्र0संस्थान से संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्राचार्य/उप प्राचार्य, महिला औ0प्र0संस्थान/ बजट शाख(सरकार पक्ष)/ निदेशालय बजट शाख /मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/यो0–25/08– 1220/पटना,दिनांक 16.6.15

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना को विभागीय वेवसाइट पर अप लोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।